प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक संख्या– 809/पन्द्रह दिनांक–09–06–2020

विषय– Mechanism/Modalities for functioning of District Court & outlying Courts of Shahjahanpur District, not falling under containment zone during COVID-19 pandemic.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या–1117/LXXXVII–सी0पी0सी0/ई–कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 03 जून, 2020 के अनुपालन के सन्दर्भ में कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 09–06–2020 को आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक– 09–06–2020
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

Devendra Singh, 09.06.2020

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

प्रेषक,

कोरोना समिति,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

विषयः **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ में दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या– 1117/LXXXVII–CPC/e-Courts/ Allahabad/ दिनांकित 03.06.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या–121/2020 दिनांकित 04.06.2020 के अनुपालन में, कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज **दिनांक 09.06.2020** को सम्पादित कार्य का विवरण निम्नवत् है :–

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय के पत्रांक संख्या 142/कोविड–19/2020–2021 दिनांकित 09.06.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि **जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां कन्टेनमेंट जोन में नहीं है।** तदैव माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं।
2. आज न्यायालय खुलने से पूर्व जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके जनपद न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालयों की समुचित साफ–सफाई के उपरान्त उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया। सभी न्यायालय कक्षों, कार्यालयों, विश्राम कक्षों एवं न्यायालय परिसर के सभी स्थानों पर साफ सफाई करायी गयी है। न्यायालय परिसर में फॉगिंग करायी गयी है। न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन दिन में दो बार अर्थात न्यायालय प्रारम्भ होने से पूर्व तथा न्यायालयों की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त कराया जा रहा है। बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।
3. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तापीय जांच (thermal scanning) करायी जा रही है। यह कार्य जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये दो इन्फ्रारेड नो कान्टेक्ट टेम्प्रेचर थर्मामीटर द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही, उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है।
4. आज दिनांक 09.06.2020 को जनपद मुख्यालय पर कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 19 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं तथा वाह्य न्यायालय तिलहर एवं पुवांया पर कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 02 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं। अन्य अधिकारीगण ग्रीष्म अवकाश पर हैं।
5. जनपद न्यायालय में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल कार्यरत कर्मचारीगण की संख्या 305 है। आज दिनांक 09.06.2020 को जनपद मुख्यालय पर सभी न्यायालयों एवं प्रशासनिक अनुभागों में कुल 158 कर्मचारीगण उपस्थित आये हैं, तथा वाह्य न्यायालयों में 18 कर्मचारी उपस्थित आयें है। अन्य कर्मचारीगण ग्रीष्म अवकाश/अवकाश पर है।
6. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी न्यायालयों द्वारा कार्य सम्पादन किया जा रहा है। जिन मामलों में सुनवाई नहीं होनी है, उनमें यथाशीघ्र तिथियॉ अंकित करके न्यायालयों के सार्वजनिक सूचना पटल पर लगवाई गयी हैं तथा सभी न्यायालयों द्वारा उक्त तिथियों को सी.आई.एस. पर भी अपलोड किया जा रहा है।
7. सभी प्रकार के वादों एवं प्रार्थना पत्रों को जूडिशियल सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर अनुभाग के ई–फाइलिंग काउण्टर पर दाखिल किया जा रहा है और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
8. जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर की समर्पित (dedicated) ई–मेल आई.डी. **districtcourtspn@gmail.com** है। इस ई–मेल आई०डी० पर आज दिनांक

09.06.2020 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, बहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. विचाराधीन बन्दियों का रिमाण्ड कार्य आदि केवल वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही किया जा रहा है और किसी भी बन्दी को सुनवाई हेतु न्यायालय नहीं बुलाया जा रहा है।
10. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या–8 के मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से वर्चुअल कोर्ट द्वारा की जा रही है। यह वर्चुअल कोर्ट रिक्त न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–द्वितीय के न्यायालय कक्ष, में स्थापित की गयी है और इसी पटल से अधिवक्तागण उक्त न्यायालय से सम्बन्धित मामलों में अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं तथा दूसरी ओर सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने विश्राम कक्ष से लैप–टॉप द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा रही है।
11. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी व्यक्ति न्यायालय परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश करें।
12. सभी न्यायालय कक्षों में सुनवाई हेतु नियमानुसार प्रबन्ध किया गया है एवं उचित दूरी पर अधिवक्तागण के बैठने हेतु चार कुर्सियॉं रखी गयी हैं। सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। साथ ही न्यायालय कक्ष के गेट पर न्यायालय के कर्मचारी के सहयोग से, कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों को एल्कोहल मिश्रित सेनेटाइजर से सेनेटाइज कराया जा रहा है।
13. सभी न्यायालयों द्वारा आज की तिथि पर विचारित किये गये मामलों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या, इस अनुपालन आख्या के साथ सारणी रूप में संलग्न की जा रही है।
14. भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए न्यायालय परिसर का गेट संख्या–6 एवं परिसर में स्थापित कैन्टीन को पूर्ववत् बन्द रखा गया है। इस समय गेट संख्या–1 से अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा गेट संख्या–2 से वादकारियों आदि तथा गेट संख्या–4 से अधिवक्ताओं को थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त प्रवेश दिया जा रहा है।
15. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को ई–कोर्ट सर्विसेज एप के अधिकाधिक प्रयोग के लिये जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जनपद न्यायालय के डेडीकेटेड ई–मेल एवं दूरभाष सेवा के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। कार्य योजना का प्रचार प्रसार समाचार–पत्रों के माध्यम से भी कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन रिपोर्ट माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांकः 09.06.2020

संलग्नक : यथोक्त

09.06.2020   09.06.20   09.6.2020

(सौरभ द्विवेदी)
सदस्य, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉंपुर।

(सुरजन सिंह)
सदस्य, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉंपुर।

(किरन पाल सिंह)
अध्यक्ष, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉंपुर।

(रमेश चन्द्र मिश्रा)
सदस्य, कोरोना समिति/
प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय, शाहजहॉंपुर।

9/6/2020
(कुलदीप कुमार)
सदस्य, कोरोना समिति/
न्यायालय प्रबन्धक,
जनपद न्यायालय, शाहजहॉंपुर।

Seen.
09.06.2020
I/C DJ.

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

संख्या 142 /कोविड–19/2020–2021

दिनांक 9 जून,2020

विषय : **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–702/XV दिनांक 21 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर व जलालाबाद की जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की नयी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद न्यायालय का परिक्षेत्र तथा तिलहर,पुवायाँ व जलालाबाद न्यायालय का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
नोडल आफिसर,
शाहजहाँपुर।

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. Letter no. 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, dated- 03.06.2020, in today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

20	A.D.S. J, F.T.C- II	0	0	0	0	0	0	0
21	Chief Judicial Magistrate	9	9	0	0	0	0	0
22	Civil Judge (S.D.)	8	0	0	0	0	0	0
23	A.C.J.M- I	15	15	0	0	0	0	0
24	A.C.J.M- II	2	4	0	0	0	0	0
25	A.C.J.M- III	8	4	0	0	0	0	0
26	Addl. Civil Judge (S.D.)/ACJM	3	5	0	0	0	0	0
27	Civil Judge (S.D) F.T.C.	1	0	0	0	0	0	0
28	Civil Judge (J.D.)	0	0	0	0	0	0	0
29	Judicial Magistrate- I	0	0	0	0	0	0	0
30	Addl. Civil Judge (J.D.)- I	1	1	0	0	0	0	0
31	Judicial Magistrate- II	3	2	0	0	0	0	0
32	Addl. Civil Judge (J.D.)- II	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Total	**147**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	18	5	0	0	3	0	3
14	Civil Judge (J.D.), Puwayan (Outlying Court)	20	2	0	0	0	20	20
15	Civil Judge (J.D.), Jalalabad (Outlying Court)	0	0	0	0	0	2	2
	Sub Total	**38**	**7**	**0**	**0**	**3**	**22**	**25**
	Grand Total	**185**	**65**	**0**	**0**	**3**	**22**	**25**

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. Letter no. 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, dated- 03.06.2020, in today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

20	A.D.S. J, F.T.C- II	0	0	0	0	0	0	0
21	Chief Judicial Magistrate	9	9	0	0	0	0	0
22	Civil Judge (S.D.)	8	0	0	0	0	0	0
23	A.C.J.M- I	15	15	0	0	0	0	0
24	A.C.J.M- II	2	4	0	0	0	0	0
25	A.C.J.M- III	8	4	0	0	0	0	0
26	Addl. Civil Judge (S.D.)/ACJM	3	5	0	0	0	0	0
27	Civil Judge (S.D) F.T.C.	1	0	0	0	0	0	0
28	Civil Judge (J.D.)	0	0	0	0	0	0	0
29	Judicial Magistrate- I	0	0	0	0	0	0	0
30	Addl. Civil Judge (J.D.)- I	1	1	0	0	0	0	0
31	Judicial Magistrate- II	3	2	0	0	0	0	0
32	Addl. Civil Judge (J.D.)- II	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Total	**147**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	18	5	0	0	3	0	3
14	Civil Judge (J.D.), Puwayan (Outlying Court)	20	2	0	0	0	20	20
15	Civil Judge (J.D.), Jalalabad (Outlying Court)	0	0	0	0	0	2	2
	Sub Total	**38**	**7**	**0**	**0**	**3**	**22**	**25**
	Grand Total	**185**	**65**	**0**	**0**	**3**	**22**	**25**